



# मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम (मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)




## कृषक डायरेक्टरी



मुख्यालय  
बीज भवन, 36 मदर टेरेसा मार्ग, अरेरा हिल, भेपाल  
दूरभाष : 0755-2571368, 2571364, 2552534, 2775045  
फैक्स : 0755-2775042  
ईमेल: [mdbeejnigam@gmail.com](mailto:mdbeejnigam@gmail.com)  
वेबसाइट: [www.mpssfdc.org](http://www.mpssfdc.org)

**मधुकर हर्णे**  
अध्यक्ष, बीज निगम



// संदेश //

यह प्रसन्नता का विषय है कि म0प्र0राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम-प्रदेश के कृषकों को प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने के साथ-साथ कृषक डायरेक्टरी का प्रथम संस्करण का प्रकाशन कर रहा है। इससे कृषकों को अधिक से अधिक जुड़कर प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम में वृद्धि लाने के साथ-साथ बीज की निगम में उपलब्धता, बीज की दरें, नई प्रजातियाँ, कृषि संबंधित दिशा-निर्देश आदि की जानकारी डायरेक्टरी से प्राप्त हो सकेगी।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह डायरेक्टरी प्रदेश के कृषकों को निगम उत्पादन कार्यक्रम की स्पष्ट जानकारी देगा।

अधिक से अधिक कृषक इस डायरेक्टरी का लाभ उठा सके ऐसी मेरी शुभकामना है।  
जय हिंद जय भारत

**मधुकर हर्णे**

**कमलेश्वर सिंह**  
उपाध्यक्ष, बीज निगम



**// संदेश //**

यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि बीज निगम द्वारा कृषकों की डायरेक्टरी का प्रकाशन प्रारम्भ किया जा रहा है। प्रदेश के कृषक वन्धुओं को प्रमाणित एवं उन्नतिशील बीज से संबंधित बेहतर जानकारी प्रदाय कर कृषि को एक लाभदायक व्यवसाय बनाये जाने हेतु अधिकाधिक उपज देने वाली प्रजातियों के बीज तथा इनकी जानकारी कृषक वन्धुओं को उपलब्ध कराने की दिशा में सार्थक कदम सबित होगा।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि बीज निगम का कृषकों से और अधिक जुड़ने हेतु यह महत्वपूर्ण प्रयास कामयाब होगा तथा इसके फलस्वरूप आने वाले समय में प्रदेश के कृषक इससे अधिक से अधिक लाभान्वित होंगे और उनके जीवन में खुशहाली आवेगी।

कृषक डायरेक्टरी के प्रकाशन के लिये मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

जय हिंद जय भारत

**कमलेश्वर सिंह**

डॉ. राकेश कुमार गुप्ता  
प्रबंध संचालक, बीज निगम



## // संदेश //

बीज निगम पिछले 33 वर्षों से प्रदेश के कृषक बंधुओं के सहयोग से विभिन्न प्रजातियों के प्रमाणित बीज का उत्पादन एवं वितरण प्रदेश में लगातार करता आ रहा है। बीज निगम के सतत प्रयास के चलते आज मध्य प्रदेश के कृषक बंधुओं को उच्च गुणवत्ता के प्रमाणित बीज समय पर एवं न्यूनतम दरों पर बहुत सहजता से प्राप्त हो रहे हैं, जिसके चलते प्रदेश के फसल उत्पादन में काफी वृद्धि दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में मध्य प्रदेश ने अनाज उत्पादन में अपने सभी रिकार्ड तोड़ते हुए कृषि उत्पादन में देश का नम्बर एक राज्य का स्थान प्राप्त किया है जो कि प्रदेश के परिश्रमी कृषकों के लिये बहुत ही गौरव की बात है।

बीज निगम का उद्देश्य प्रदेश के और अधिक से अधिक कृषकों के साथ जुड़कर प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम में वृद्धि लाना है। इसको ध्यान में रखते हुये निगम ने इस वर्ष से एक कृषक डायरेक्टरी प्रकाशित करने का फैसला किया है। इस डायरेक्टरी में उपलब्ध जानकारी का उपयोग कर निगम से जुड़े कृषक एवं अन्य कृषक समय-समय पर अधिक से अधिक बीज उत्पादन, बीज उपलब्धता, बीज दरें, नई बीज प्रजातियाँ, कृषि संबंधी दिशा निर्देश, अत्याधुनिक कृषि संबंधी तकनीकें इत्यादि की जानकारी दूरभाष पर प्राप्त कर सकते हैं।

डायरेक्टरी के प्रथम भाग में बीज उत्पादन से संबंधित जानकारी विस्तार से प्रदाय की गई है। विभिन्न प्रजातियों के बीज उत्पादन हेतु प्रजातिवार जानकारी जैसे नई प्रजातियों के नाम, सिंचाई की आवश्यकता, प्रति हेक्टर बीज दर, प्रति हेक्टर अनुमानित उत्पादन, कीटनाशक एवं नींदानाशक का उपयुक्त प्रयोग, जैविक खेती की विधियाँ इत्यादि की जानकारी भी उपलब्ध करायी गयी है। इस प्रकार की जानकारी का उपयोग कृषक बंधु बीज एवं फसल के उत्पादन बढ़ाने हेतु कर सकेंगे।

डायरेक्टरी के अन्तिम भाग में निगम से जुड़े कृषकों के फोन नम्बर भी प्रदाय किये गये हैं तथा निगम के विभिन्न जिलों में स्थित कार्यालय तथा प्रक्षेत्रों के दूरभाष की जानकारी भी प्रदाय की गई है। कृषक बंधु अब निगम से सीधे सम्पर्क साधकर बीज उत्पादन संबंधी सभी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। कृषक बंधु एक दूसरे से सम्पर्क कर बीज उत्पादन संबंधी एक दूसरे के अनुभव बाँट सकते हैं।

अगले सीजन से बीज निगम इस डायरेक्टरी में उन सफल कृषकों के साक्षात्कार एवं सफलता की कहानी " केस स्टडी " के रूप में प्रकाशित करेगी। इसके अलावा कृषकों से प्राप्त होने वाले चुनिंदा सुझाव भी प्रकाशित करेंगे। निगम की यह कृषकों से जुड़ने की एक छोटी परन्तु महत्वपूर्ण पहल है।

जय हिंद जय भारत

प्रबंध संचालक  
बीज निगम

## बीज निगम का उद्देश्य

- म0प्र0 राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के कृषकों को उन्नत किस्मों के उच्च गुणवत्तायुक्त प्रमाणित बीज सुगमता से उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना।
- प्रदेश के कृषकों को उनके द्वार तक प्राथमिक बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के माध्यम से बीज पहुँचाना।
- प्रदेश की फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिये बीज प्रतिस्थापन दर में वृद्धि करना।

## उत्पादन कार्यक्रम की रूपरेखा

बीज उत्पादन कार्यक्रम के लिये प्रथमतः कृषि विश्वविद्यालयों से प्रजनक बीज (BREEDER SEED) प्राप्त कर उनका प्रगुणन बीज निगम के कृषि प्रक्षेत्रों एवं चुने हुये प्रगतिशील कृषक उत्पादकों के प्रक्षेत्रों पर किया जाता है, ताकि आधार बीज (FOUNDATION SEED) की अनुवांशिक शुद्धता (GENETIC PURITY) कायम रहें।



प्रजनक बीज से तैयार किया गया आधार बीज का संसाधन अद्यतन बीज संसाधन संयंत्रों पर कर इन्हें बीज उत्पादन कार्यक्रम के तहत प्रदेश के बीज उत्पादन कार्यक्रम से जुड़े 4500 कृषकों को उचित मूल्य पर प्रदाय किया जाता है तथा इस बीज से प्रगुणित बीज को कृषकों से शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर वापस लिया जाता है।

उपरोक्तानुसार तैयार किये गये बीजों का मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था (SEED CERTIFICATION AGENCY) से विस्तृत परीक्षण कराया जाता है, बीज मानकों के अनुरूप पाये जाने के पश्चात् ही प्रमाणित बीज कृषकों को वितरण हेतु उपलब्ध कराये जाते हैं।





## बीज उत्पादन कार्यक्रम से कृषकों को होने वाला लाभ

1. बीज की अनुवांशिक (GENETIC) शुद्धता की सुनिश्चिता। उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीजों (CERTIFIED SEED) के सतत् उपयोग से फसल उत्पादकता में वृद्धि।
2. शासन द्वारा निर्धारित बीज उपार्जन दर, मंडी दर से अधिक होने के कारण कृषकों को बीज उत्पादन से अतिरिक्त वित्तीय लाभ।
3. बीज उत्पादन कार्यक्रम से जुड़े कृषकों को फसल की तकनीकी जानकारी की सहज उपलब्धता।



## बीज उत्पादन कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिये कृषकों की आवश्यक पात्रता

1. कृषक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।
2. कृषकों के पास कम से कम 2 हैक्टेर भूमि निजी स्वामित्व में होना आवश्यक है।
3. कृषक की भूमि बीज निगम प्रक्रिया केन्द्र के 30 किलोमीटर दायरे में होना चाहिये।

## बीज उत्पादन कार्यक्रम से जुड़ने के लिये कृषक बन्धु क्या करें

1. निजी स्वामित्व की भूमि का बी-1 (खसरा) की मूलप्रति सहित बीज प्रक्रिया केन्द्र पर संपर्क करें।
2. प्रक्रिया केन्द्र प्रभारी से चर्चा कर स्थानीय जलवायु एवं मृदा के प्रकार के आधार पर समुचित बीज की किस्म का चयन करें।



3. बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु बीज की कीमत के अतिरिक्त निम्नानुसार शुल्क जमा करें।
- 3.1 पंजीयन शुल्क : रू. 25 /- प्रति ऋतु प्रति उत्पादक
- 3.2 निरीक्षण शुल्क : रू. 250 /- प्रति हैक्टर स्वररागित  
(SELF POLLINATED) फसलों के लिये।
- 3.3 निरीक्षण शुल्क : रू. 400 /- प्रति हैक्टर परंपरागित  
(CROSS POLLINATED) फसलों के लिये।
- 3.4 बीज परीक्षण शुल्क : रू. 75 /- प्रति नमूना
4. बीज प्रमाणीकरण के लिये बीज निगम से प्राप्त बीज के देयक, चालान, बीज की थैली एवं थैली पर लगे टैग सुरक्षित रखें।

### बीज वितरण प्रणाली एवं नेटवर्क

बीज निगम द्वारा प्रदेश के कृषकों के द्वार तक बीज पहुँचाने के लिये निम्न वितरण प्रणाली का उपयोग किया गया है।

1. प्रथमिक बहुउद्देशी सहकारी समितियों के माध्यम से।
2. उबल लॉक केन्द्रों के माध्यम से।
3. बीज निगम के प्रदेश में विभिन्न जिलों में स्थित 40 प्रक्षेत्रों एवं 53 बीज प्रक्रिया केन्द्रों से।
4. बीज निगम के बीज विक्रय केन्द्रों से।
5. बीज निगम के अधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से।

कृषक प्रमाणित बीज उपरोक्त स्थानों से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिये बीज निगम की वेबसाईट का उपयोग करें।

website : [www.mpssfdc.org](http://www.mpssfdc.org)



**कृषि विभाग से कृषकों को मिलने वाली अनुदान की राशि (खरीफ वर्ष 2012)  
(राशि रूपये प्रति क्विंटल)**

| फसल                       | उत्पादन अनुदान   | वितरण अनुदान        |
|---------------------------|--|---------------------|
| धान                       | निरंक  | रु. 200-500 तक      |
| सोयाबीन                   | सामान्य कृषकों के लिए<br>रु. 525/- अनुसूचित<br>जाति/जनजाति के लिए<br>रु. 725/- | निरंक               |
| मूँग, उड़द एवं अरहर       | निरंक  | रु. 1200 से 2200 तक |
| मक्का                     | रु. 750/-  | रु. 600/-           |
| मूँगफली तिल एवं<br>रामतिल | रु. 750/-  | रु. 1200            |
| मूँगफली तिल एवं<br>रामतिल | रु. 750/-  | रु. 1200            |

**रबी वर्ष 2011-12 के उत्पादन एवं 12-13 के वितरण पर रबी फसलों पर अनुदान  
(इकाई रूपयों में प्रति क्विंटल)**

| फसल                                  | उत्पादन अनुदान | वितरण अनुदान |
|--------------------------------------|----------------|--------------|
| गेहूँ ऊँची (10 वर्ष तक)              | निरंक          | रु. 500/-    |
| गेहूँ ऊँची (10 वर्ष से अधिक)         | निरंक          | रु. 300/-    |
| गेहूँ बोनी किस्में (10 वर्ष तक)      | रु. 100/-      | रु. 500/-    |
| गेहूँ बोनी किस्में (10 वर्ष से अधिक) | निरंक          | रु. 300/-    |
| चना/काबुली/मसूर                      | रु. 800/-      | रु. 1200/-   |
| मटर (अर्किल को छोड़कर)               | रु. 800/-      | रु. 1200/-   |
| सरसों/अलसी/तोरिया/कुसुम              | रु. 750/-      | रु. 1200/-   |
| जौ बार्ले                            | निरंक          | रु. 200/-    |





## मुख्य फसलें एवं प्रजातियों जो निगम द्वारा तैयार की जाती है

मुख्य फसलें एवं प्रजातियों जो निगम द्वारा तैयार की जाती है रबी की प्रमुख फसलें एवं प्रजातियों

|                 |  |
|-----------------|--|
| गेहूँ ऊँची जाति | : एचआई-1531, जे.डब्ल्यू.3020, एम.पी./जे.डब्ल्यू. 3173, एम.पी./जे.डब्ल्यू.3211                          |
| गेहूँ बोनी जाति | : जीडब्ल्यू-322, जीडब्ल्यू-366, राज-6560, एमपी-1142, 4010, एचआई-1544, एमपी-1202, एमपी-1203, एमपीओ-1215 |
| चना             | : जेजी-16, 11, 63, 74, 130, 218, 315, 322, वैभव, जेजीके-1, जेजीके-3                                    |
| मटर             | : अर्किल, प्रकाश, केएमपीआर-552, केएमपीआर-400   |
| सरसों           | : पूसा बोल्ड, बसुन्धरा, वरुणा, माया, रोहणी   |
| मसूर            | : जेएलएस-1, पीएल-5, एचयूएल-57  |
| अलसी            | : इन्दिरा-32, पारवती, शेखर, शीला, आजाद   |

## खरीफ की प्रमुख फसलें एवं प्रजातियों

|         |  |
|---------|--|
| सोयाबीन | : जेएस-9560, जेएस-335, जेएस-9305, एनआरसी-7, 37, जेएस-9752  |
| उड़द    | : आईपीयू-94-1, पीडीयू-1, एलबीजी-623, डब्ल्यूबीयू-108, बरखा, शेखर   |
| मूँग    | : एचयूएम-12, पूसा विशाल, वैभव, टर्म-2, जेएस-721, पूसा-9531, लैम-460  |
| अरहर    | : आईसीपीएल-85063, लक्ष्मी, आईसीपीएल-87, आईसीपीएल-87-119 (आशा), 84031 (दुर्गा), जेकेएम-7, पूसा-991, 992, टीजेटी-501                     |
| धान     | : आईआर-36, आईआर-64, स्वर्णा, क्रांति, पूसाबासमती, पूसा सुगंधा, जेआर-503, जेआर-201, शताब्दी, सोमसिला, अंजली, बासमती-6, पी-1460, जेके-41 |
| कोदो    | : जेके-41  |
| कुटकी   | : जेके-48  |
| ज्वार   | : बुन्देला, सीएव्ही-20, 23, सीएसव्ही-15, जेजे-1041   |



## मुख्य रबी फसल हेतु सिंचाई एवं कीटनाशक की आवश्यकता

| फसल                        | 1 पानी                               | 2 पानी                       | 2 से अधिक पानी                                  | कीटनाशक / नंदानाशक                      |
|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---|
| गेहूं (ऊँची)               | एच.डब्ल्यू. 2004 एच. आई.1500, सुजाता | जे.डब्ल्यू. 3173, 3020, 1531 | —   | 2-4 डी नींदानाशक                        |
| गेहूं (बोनी)               | —                                    | —                            | जी.डब्ल्यू.322, 366, एम.पी.ओ. 4010, एच. आई.6627 | 2-4 डी एवं सल्फर नींदानाशक              |
| गेहूं (ड्यूरम)             | —                                    | —                            | एच.आई.8498 एम.पी.ओ. 1106                        | 2-4 डी एवं सल्फर नींदानाशक              |
| चना (यदि सिंचाई उपलब्ध हो) | जेजी-322, 63, 226, 130               | —                            | —   | क्लोरीपायरीफास ट्राइजोफोस साइपर मेथ्रिन |

## मुख्य खरीफ फसल हेतु कीटनाशक की आवश्यकता

| फसल     | मुख्य प्रजाति   | कीटनाशक   |
|---------|---|---|
| सोयाबीन | जेएस-9305, जेएस-9560, जेएस-90-41, जेएस-9752 इत्यादि                     | क्लोरो पायरी फोस, ट्राइजोफोस, साइपर मेथ्रिन                 |
| उड़द    | एल.बी.जी.623, एल.बी.जी.685, केयू-300 (शेखर), आर.बी.यू.38 (बरखा) इत्यादि | क्लोरो पायरी फोस, ट्राइजोफोस, साइपर मेथ्रिन                 |
| मूँग    | पूसा-9531, एच.यू.एम-1, एच.यू.एम. 12, एल.जी.जी.460 इत्यादि               | क्लोरो पायरी फोस, ट्राइजोफोस, साइपर मेथ्रिन, डेल्टा मेथ्रिन |
| अरहर    | आई.सी.पी.एल.87, आई.सी.पी.एल. 87-119, पूसा-992, पूसा-991 इत्यादि         | क्लोरो पायरी फोस, ट्राइजोफोस, साइपर मेथ्रिन, डेल्टा मेथ्रिन |



## प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम

### बीज खरीदते समय सावधानियाँ :-

- अपने क्षेत्र, भूमि, सिंचाई के साधन आदि का ध्यान रखते हुए फसल या नई किस्म बोएँ।
- बीज उत्पादक संस्था, जिसके लिए आप बीज पैदा करना चाहते हैं, को स्वयं की भूमि की खसरा नकल देकर बीज खरीदें।
- बीज की बोरी का टैग (प्रजनक बीज हेतु सुनहरा पीला, आधार बीज हेतु सफेद, प्रमाणित बीज हेतु नीला) व लेबल विधिवत सिले हुए हों एवं बैग मुहरबंद हों, बीज की बोरीयों कटी-फटी न हों।
- बीज उत्पादन हेतु एक ही लॉट का बीज खरीदें।
- टैग में अंकित बीज की वैधता दिनांक (एक्सपायरी डेट) जरूर देखें।
- बीज प्रदायकर्ता से बिल अवश्य प्राप्त करें जिस पर फसल/किस्म/श्रेणी एवं लॉट नम्बर छपा हो।



### बीज बोने के पूर्व की सावधानियाँ :-

- खरीदे गये बीज को नमी वाले स्थान एवं रसायनिक खाद के साथ भण्डारण न करें।
- अलग-अलग किस्मों का बीज अलग-अलग भण्डारण करें।
- नीचे गिरा हुआ या मिश्रित बीज उपयोग में न लाएँ।
- रबी फसल कटाई के बाद गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करें। गहरी जुताई से जमीन में खरपतवार के बीज, बीमारियों के जीवाणु एवं कीटाणुओं के अण्डे आदि तेज धूप के कारण नष्ट हो जाते हैं।
- दलहनी फसलों के बीज को राइजोबियम कल्चर तथा पी.एस.बी. कल्चर से भी उपचारित





करें।

- उपचारित बीज को बोनी पूर्व छायादार स्थान पर रखकर अच्छी तरह सुखाएँ।
- बोनी के पूर्व सीडड्रिल की सफाई अवश्य करें, ताकि पहले बोई गई फसल या किस्म का मिश्रण न होने पाएँ।
- बीज को उर्वरक के साथ मिलाकर न बोएँ। रसायनिक उर्वरक, बीज से 2-3 से.मी. नीचे डालें।
- यदि एक ही किस्म की अलग-अलग श्रेणियों का बीज क्य किया गया है तो उसे अलग-अलग खेतों में अथवा एक ही खेत में बोया जाता है तो निर्धारित पृथक्करण दूरी पर ही बोया जाये।
- बीज फसल की किस्म हेतु तय की गई बीज दर के अनुसार बोनी करें, जैसे गेहूँ के 1000 दानों के वजन के आधार पर बीज की दर निर्धारित करें, 1000 दानों का वजन जितने ग्राम आये, उतने ही किलोग्राम बीज प्रति एकड़ उपयोग में लायें, उदाहरण-अगर किसी किस्म के 1000 दानों का वजन 40 ग्राम है तो उस किस्म के बीज की मात्रा 40 किलोग्राम प्रति एकड़ बोना चाहिए।
- देर से बोनी की अवस्था में बीज की दर में 20-25 प्रतिशत बढ़ोत्तरी करना आवश्यक है।
- गेहूँ की फसल में पर्याप्त मात्रा में संतुलित उर्वरक देने की आवश्यकता है। मिट्टी परीक्षण कराकर अनुशंसित मात्रा में उर्वरक प्रयोग करें। जैविक खाद का प्रयोग करने से सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति भी होती है।
- बीज फसल के साथ अन्य फसलों को मिश्रित कर न बोयें। अन्तरवर्तीय फसल केवल प्रमाणित श्रेणी के बीजों के लिए ही मान्य है।
- बोनी के बाद बीज की सभी खाली थैलियाँ/टैग एवं लेबल संभाल कर रखें। निरीक्षण के दौरान बीज प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारियों को बीज स्रोत सत्यापन के लिए बताना आवश्यक है।



### फसल पंजीयन :-

- बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु कृषक/उत्पादक संस्था का पंजीकरण निर्धारित शुल्क के साथ बीज प्रमाणीकरण संस्था में कराना आवश्यक है।







- प्रत्येक फसल का पंजीयन एक मौसम व एक उत्पादक संस्था हेतु उसके द्वारा बीज उत्पादन कार्यक्रम के लिए ली गई समस्त फसलों/किस्मों के लिए एक बार किया जाता है।
- पंजीयन के लिए कृषक द्वारा आवेदन पत्र में निर्धारित जानकारियाँ भरने के पश्चात् खसरे की नकल कय किये गये बीज का बिल/चालान एवं संबंधित लॉट का एक टैग संलग्न कर बोनी के तत्काल पश्चात् उत्पादक संस्था को प्रस्तुत करें।
- आवेदन पत्र पर कृषक अपने हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी लगाएँ। आवेदन में सभी विवरण पूर्ण व सही हों।

### बीज प्रक्षेत्र पर रखी जाने वाली सावधानियाँ :-

- बीज फसल में बोई गई किस्म के अलावा कोई भिन्न पौधे/रोगग्रस्त पौधे दिखाई देते हैं तो उन्हें तुरन्त नष्ट करें।
- बीज फसल से अधिकतम उत्पादन के लिए कृषि वैज्ञानिक एवं कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा निर्धारित खाद एवं उर्वरकों का उपयोग करना चाहिये।
- खेत खरपतवार रहित हों।
- रोग-कीट नियंत्रण हेतु समय-समय पर आवश्यक कीटनाशक का उपयोग करें।
- बीज फसल का प्रमाणीकरण संस्था के प्रतिनिधियों से निरीक्षण कार्य, कृषक द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही कराना चाहिए।

### फसल कटाई के समय सावधानियाँ :-

- बीज फसल की कटाई, बीजों में उचित नमी पर करें।
- बीज फसल की कटाई, हार्वेस्टर या कम्बाईन से नहीं करें।
- गहाई के पूर्व थ्रेशर की सफाई अच्छी तरह कर लें, ताकि पूर्व में गहाई की गई फसल प्रमाणित बीज में न मिले।
- फसल को 2-3 दिन धूप में सुखाकर थ्रेशर से धीमी गति (300 से 400 आर.पी.एम.) पर गहाई करना चाहिए। बड़ी पुली (30 से.मी. या उससे अधिक व्यास) लगाकर थ्रेशर की गति धीमी की जा सकती है ताकि बीज को कोई नुकसान न हो।
- बीज को साफ तारपोलन पर सुखाएँ। यदि बीज को दांत से दबाने पर कट की आवाज आएँ तो समझे बीज ठीक से सूख गया है।
- सूखे बीज को साफ स्वच्छ बोरो में भरें एवं बोरो पर फसल, किस्म, श्रेणी तथा पंजीयन क्रमांक आवश्यक रूप से अंकित कर प्रक्रिया केन्द्र पर पहुँचाएँ।





### बीज उपार्जन :-

- बीज उत्पादक कृषक अपना उत्पादन प्रत्येक फसल हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व संबंधित बीज प्रक्रिया केन्द्र पर अवश्य पहुँचा दें, संबंधित उत्पादक संस्था से बीज प्राप्ति की रसीद लें।
- प्रत्येक कृषक अपने बीज की प्रक्रिया की निर्धारित तिथियों हेतु संबंधित बीज प्रक्रिया
- केन्द्र अथवा बीज प्रमाणीकरण संस्था के प्रतिनिधि से संपर्क करें।

### बीज फसल में रोगिंग कार्य :-

बीजोत्पादन कार्यक्रम में किसी भी फसल/किस्म की जातिगत शुद्धता, स्वास्थ्य तथा भौतिक शुद्धता बनाये रखने के लिये रोगिंग एक अति महत्वपूर्ण क्रिया है, रोगिंग का अर्थ बीज फसल में उपस्थित भिन्न जाति के पौधों, अन्य फसलों के पौधों, खरपतवार के पौधों तथा रोगग्रस्त पौधों को खड़ी फसल में से निकालना है क्योंकि इनके बीजों से फसल की जातिगत शुद्धता तथा गुणवत्ता प्रभावित होती है।

रोगिंग के प्रथम चरण में फसल में फूल आने के पूर्व पौधों की ऊँचाई, पौधों की पत्ती का आकार एवं रंग तथा तने पर रोएँ की उपस्थिति एवं रंग आदि लक्षणों के आधार पर अन्य जाति के पौधों की पहचान कर खेत से निकलवा दें।

रोगिंग के द्वितीय चरण में फसल में फूल आते ही फूलों के रंग के आधार पर अन्य जाति के पौधों की पहचान कर खेत से निकलवा दें।

तृतीय चरण में फसल के पकने पर पत्तियों के खिर जाने पर पौधों के आकार, फली/दानों के रंग, आकार एवं रोएँ की उपस्थिति तथा पकने के समय की एकरूपता आदि लक्षणों के आधार पर भिन्न जाति के पौधों की पहचान कर खेत से निकलवा दें। पर-परागित फसलों में फसल फूल पर आते ही रोगिंग कार्य प्रारम्भ कर देना चाहिए जो निरंतर करते रहे क्योंकि पुष्पण अवस्था में एक किस्म के परागकरण दूसरे किस्म के पौधे में परागित होते हैं जिससे अवांछित पौधे प्राप्त होते हैं।



## मालवी या कठिया (ड्यूरम) की खेती के लाभ

कठिया गेहूँ की असिंचित खेती मध्य भारत के अंतर्गत मध्यप्रदेश के मालवा अंचल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में दीर्घ काल से की जाती रही है तथा इससे बनने वाले पारंगत व्यंजन जैसे बाटी, बाफ्ला, लड्डू, दलिया, लापसी, उपमा इत्यादि पौष्टिक खाद के रूप में उपयोग में लाये जाते हैं। कठिया गेहूँ के खेती के निम्न लाभ हैं।

- (1) **कम सिंचाई में अधिक उत्पादन क्षमता** :-कठिया गेहूँ के उत्पादन में सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। एक से दो सिंचाई में मालवरतन मालव कृति किस्में 30-40 क्विंटल प्रति हैक्टर उपज दे सकती हैं तथा मालवशक्ति पौषण 3-4 सिंचाई में 50 से 60 क्विंटल प्रति हैक्टर उपज देने में सक्षम है।
- (2) **पौषण (सुरक्षा)** :-चावल एवं सामान्य गेहूँ की तुलना में कठिया गेहूँ में अधिक पोषण क्षमता होती है। कठिया गेहूँ में पाये जाने वाले अवयवों का तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार है।



| प्रजाति    | हैक्टोलीटर भार(कि.ग्रा.) | प्रोटीन मात्रा (%) | बीटा कैरोटीन (पी.पी.एम.) | लौह मात्रा (पी.पी.एम.) | जिंक मात्रा (पी.पी.एम.) | कॉपर मात्रा (पी.पी.एम.) |
|------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| मालवकीर्ति | 82.3                     | 11.0               | 5.7                      | 49.6                   | 42.1                    | 6.0                     |
| लोक 1      | 80.1                     | 10.6               | 2.3                      | 35.5                   | 27.2                    | 4.5                     |

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सामान्य गेहूँ की मध्य भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय प्रजाति लोक-1 की तुलना में कठिया गेहूँ में बीटा कैरोटीन की मात्रा 2.5 गुना है व आवश्यक सूक्ष्म तत्वों की मात्रा अधिक है। कठिया गेहूँ में विटामिन-बी समूह के विटामिन-राइबोफ्लेविन लाइसिन व थाइमिन की भी बहुलता होती है। यह घुलनशील रेशे का ही अच्छा स्रोत है। जो पाचन तंत्र को शुद्धिकरण करता है इसी प्रकार कठिया गेहूँ में फौलिक कैलेशियम विटामिन-ई व कई एन्टिऑक्सीडेंट भी होते हैं।

- (3) **रोगों से बचाव** :-कठिया गेहूँ की गेरुआँ रोग प्रतिरोग क्षमता सामान्य गेहूँ से भिन्न होती







है। अतः कठिया गेहूँ की नवीन प्रजातियाँ से न केवल मध्य भारत को बल्कि पूरे देश की गेहूँ की फसल को भूरा गेरुओं की महामारी से बचाया जा सकता है। कठिया गेहूँ में करनालबंट तथा लूजस्मट नामक बीमारी के प्रति प्रतिरोधकता है।

(4) **रोजगार को बढ़वा** :-कठिया गेहूँ फास्टफूड जैसे सेवइंया, नूडल, स्पेगेटी,बरनेशेली, लेजानिया, मेकोनी इत्यादि व्यंजन के लिये अधिक उपयोग है। इसकी अधिक लोकप्रियता को देखते हुये कठिया गेहूँ आधारित फास्टफूट उद्योगों की स्थापना से रोजगार के नये अवसर प्राप्त होंगे।

विदेशी व्यापार की संभावनायें—कठिया गेहूँ का अंतराष्ट्रीय मूल्य प्रायः अधिक रहता है। अतः यूरोप, ऊतरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया देशों को इसका नियात कर किसान विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते है।

कठिया गेहूँ की नवीन किस्म— कठिया गेहूँ की नवीन अनुमोदित प्रजातियाँ निम्न अनुसार है:-

| बुवाई अवस्था | बुवाई समय               | सिंचाई       | प्रजातियाँ   | औसत उत्पादन (क्वि./ है. ) |
|--------------|-------------------------|--------------|--|---------------------------|
| अगेती        | 15 से 30 अक्टूबर        | वर्षा आधारित | एच.डी.4672(मालवरत्न)<br>एच.आई.8627 (मालवाकीर्ति)                                 | 20-25                     |
|              | 25 अक्टूबर से 10 नवम्बर | 1-2 सिंचाई   | एच.डी.4672 (मालवरत्न)  | 30-40                     |
| समय से       | 10 से 25 नवम्बर         | 3-4 सिंचाई   | एच.आई.8498 (मालवशक्ति)<br>एच.आई.8663(पोषण)<br>एम.पी.ओ.1106(सुधा)<br>एम.पी.ओ.1215 | 50-60                     |

नोट—मालवशक्ति की देर से (दिसम्बर माह) भी बुवाई की जा सकती है, क्योंकि यह जल्दी पकने वाली किस्म है। चार सिंचाई उपलब्ध होने पर पोषण की बुवाई अक्टूबर के पहले सप्ताह में भी की जा सकती है क्योंकि यह अगेती गर्मी को सहने में अति सक्षम है।





## संकर मक्का प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम की तकनीक

संकर मक्का पूसा अर्ली-2 प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम

1. पैतृक बीज-सी.एम. 137 X सी.एम. 138

(मादा) (नर)

पूसा अर्ली-2 (संकर)



संकर मक्का बीज उत्पादन के लिये दो संकरों का संकरण कराया जाता है और उससे प्राप्त संतति संकर कहलाती है। पूसा अर्ली-2 संकर प्रजाति है जो सीएम -137 एवं सीएम-138 एकल संकरों के संकरण से प्राप्त हुई है।

**बुवाई-** बीज मात्रा नर 4 से 5 किलो मादा-10 से 12 किलो प्रति हेक्टर

**बुवाई विधि-** नर व मादा बीज को 2 अनुपात 4 कतारों में बोया जाता है।

खेत के चारों ओर नर लाइनों की अंदर 2:4 अनुपात लाइन में नर मादा बीज की बुवाई करें। तत्पश्चात् नर बीज की 4 लाइनें चारों ओर बार्डर लाइन के रूप में बुवाई करें। अंदर की नर लाइनों के दोनों सिरों पर पहचान स्वरूप किनारों पर खूटिया या सन बीज बो दें जिससे नर लाइन की पहचान हो सकें।

**सावधानी:-**

1. नर, मादा की थैलियाँ अच्छे से चेक कर लेवें।
2. नर लाइनों के दोनों ओर पहचान चिन्ह लगाना न भूलें।
3. बोते समय ध्यान रखें कि लाइने सीधी हो। एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी बराबर रहे।
4. कतार से कतार 60 से 70 से.मी. पौधे से पौधे 20 से 25 से.मी. एवं 3 से 5 से.मी गहराई पर डिवलिंग पद्धति से बुवाई करे पहले तिफन चौफन द्वारा लाइन बना लेवें साथ में आवश्यक रासायनिक खाद लाइनों में बो देवें।



**खाद**— 120 से 150 किलो नाइट्रोजन 50 से 60 किलो फास्फोरस 40 से 50 किलो पोटैश प्रति हेक्टर उपयोग करें। 50 प्रतिशत नाइट्रोजन व फास्फोरस पोटैश की पूर्ण मात्रा लाईनों में बीज बोनी के समय दें। नाइट्रोजन का शेष भाग 50 प्रतिशत के दो हिस्से कर 20 से 25 दिन व 40 से 50 दिन का खड़ी फसल अवस्था में साइड ड्रेसिंग द्वारा दें।

**पृथक्करण दूरी**— बीज उत्पादन क्षेत्र के चारों ओर 200 मीटर क्षेत्र के अंदर नर मादा के समान बीज के रंग वाली मक्का की प्रजाति से 300 मीटर विभिन्न बीज रंग वाली मक्का नहीं बोई गई हो। यदि पृथक्करण दूरी के अंदर अन्य मक्का बोई गई है तो निर्धारित बार्डर लाइन से अधिक (नर) लाइन लगावें।

**रोगिंग**— उच्च गुणवत्ता की दृष्टि से बीज फसल में रोगिंग कार्य अति महत्त्वपूर्ण है। अतः बीज फसल का सतत निरीक्षण अनिवार्य है। अवांछित पौधों व दूसरी जातियों के पौधों को समय समय पर सावधानीपूर्वक बीज फसल से तुरंत अलग कर दें।

**डिटेसलिंग**—मादा की 4 लाइनों में मॉजर दिखाई देने लगे तभी से मॉजर निकालना प्रतिदिन सुबह सावधानीपूर्वक निकाल दें ताकि मादा की मॉजर से झडने वाला पराग मादा फूल को संकरित नहीं कर सकें। मादा लाईनों के सभी पौधों की मॉजर पराग छोड़ने के पूर्व निकालना अति आवश्यक है।

#### **सावधानियाँ—**

1. मॉजर पूर्ण रूप से पत्ती से बाहर आने पर पराग कण झडने से पहले निकालें।
2. एक हाथ से मॉजर के कुछ नीचे अंतिम पत्ती सहित दबा कर पकडे व दूसरे हाथ से मॉजर डंठल को सावधानीपूर्वक खींचें। ध्यान रहे अंतिम पत्ती टूट न पाये व माजर का कोई भाग पत्ती में न रहने पायें।
3. मॉजर निकालकर तुरंत थैली में रखकर खाद के गडदे में डाल दें।
4. प्रतिदिन निश्चित समय पर यह कार्य कुशल श्रमिकों द्वारा संपादित करावे।
5. मॉजर का कोई हिस्सा टूटने से बचा हो तो पुनः शेष हिस्सा तोड़ दें।

**कटाई गहाई**—समस्त नर पौधों को तोड़ने के पश्चात् ही मादा के भुट्टो की तुड़ाई निरीक्षण पश्चात् प्रारम्भ करें। मादा भुट्टो से प्राप्त बीज ही संकर बीज होगा शुद्ध बीज वाले भुट्टो को अलग कर लें। पश्चात् मक्का शेलर अथवा जो साधन हो उससे दानें निकालें। उक्त कार्य बीज प्रमाणीकरण निरीक्षक की उपस्थिति में संपादित करें।

**कीट व रोग नियंत्रक**—समय पर कीट व रोगों से बचाव के उपाय सामान्य मक्का फसल अनुसार करते रहना चाहिये। पौधे घुटने के बराबर होने पर प्रत्येक पौधे 5—6 दाने फयूराडान या फोरेट



10 जी डाले। याथ ही निदाई, गुडाई सिंचाई कार्य समय समय पर आवश्यकतानुसार करते रहे।

**रोगिंग— बीज फसल में रोगिंग कार्य :-**बीजोत्पादन कार्यक्रम में किसी भी फसल/किस्म की जातिगत शुद्धता, स्वास्थ्य तथा भौतिक शुद्धता बनायें रखने के लिये रोगिंग एक अति महत्वपूर्ण क्रिया है।

रोगिंग का अर्थ बीज फसल में उपस्थित भिन्न जाति के पौधों, अन्य फसलों के पौधों, खरपतवार के पौधों तथा रोगगस्त पौधों को खड़ी फसल में से निकालना है। क्योंकि इन बीजों से फसल की जातिगत शुद्धता तथा गुणवत्ता प्रभावित होती है।

रोगिंग के प्रथम चरण में फसल में फूल आने के पूर्व पौधों की ऊँचाई, पौधों की पत्ती का आकार एवं रंग तथा तने पर रोएँ की उपस्थिति एवं रंग आदि लक्षणों के आधार पर अन्य जाति के पौधों की पहचान कर खेत से निकलवा दे।

रोगिंग के द्वितीय चरण में फसल में फूल आते ही फूलों के रंग के आधार पर अन्य जाती के पौधों की पहचान कर खेत से निकलवा दे।

तृतीय चरण में फसल के पकने पर पत्तियों के गिर जाने पर पौधों के आकार, फली/दानों के रंग, आकार एवं रोएँ की उपस्थिति तथा पकने के समय की एकरूपता आदि लक्षणों के आधार पर भिन्न जाति के पौधों की पहचान कर खेत से निकलवा दे। पर-परागित फसलों में फसल फूल पर आते ही रोगिंग कार्य प्रारम्भ कर देना चाहिए जो निरंतर करते रहे क्योंकि पुष्पण अवस्था में एक किसम के परागकरण दूसरे किस्म के पौधों में परागित होते हैं जिससे अवांछित पौधे प्राप्त होते हैं।





## // कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना //

### योजना :-

वर्षा आधारित दलहन एवं तिलहन ग्रामों का विकास कृषि यंत्रीकरण के माध्यम से किये जाने हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत "कस्टम हायरिंग सेंटर्स" की स्थापना की गयी है। प्रत्येक कस्टम हायरिंग सेंटर को एक ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों का सेट प्रदाय किया जायेगा, जिनको चयनित क्रियान्वयन संस्था द्वारा किराये से किसानों को दिया जायेगा।

### उद्देश्य :-

योजना का उद्देश्य वर्षा आधारित क्षेत्रों में दलहन एवं तिलहन फसलों की उत्पादकता में वृद्धि कर इन्हें प्रदेश के अन्य ग्रामों की फसल उत्पादकता के समकक्ष लाना है। इन क्षेत्रों के किसानों की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण खेती में उन्नत कृषि यंत्रों का उपयोग सीमित होने से ही उत्पादकता कम है। अतः किसानों को अत्यावश्यक परंतु उन्नत तकनीक के कृषि यंत्रों को आसान किराये पर एवं पहुँच के अंदर उपलब्ध कराने की दृष्टि से इन कस्टम हायरिंग सेंटर्स की स्थापना की जा रही है।



### योजना का संचालन :-

1. संचालक कृषि अभियांत्रिकी योजना के राज्य स्तरीय नोडल ऑफिसर होंगे।
2. कस्टम हायरिंग सेंटर्स हेतु एजेंसी का चयन शासन स्तर पर किया जावेगा।
3. शासन तथा क्रियान्वयन संस्था के मध्य एम.ओ.यू. सम्पादित किया जायेगा जिसके अनुसार क्रियान्वयन संस्थाओं द्वारा योजनान्तर्गत कार्य किया जायेगा।

### क्रियान्वयन :-

प्रदेश के वर्षा आधारित दलहन एवं तिलहन क्षेत्रों में चयनित संस्थाओं को ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे। प्रत्येक संस्था उसके आसपास के लगभग 10 ग्रामों के किसानों को इन ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र के माध्यम से कृषि सेवाएँ प्रदान करेगी। कृषि सेवाएँ निर्धारित किराया





दर प्राप्त कर दी जावेगी। आवश्यक होने पर यातायात शुल्क भी लिया जा सकेगा। कृषि सेवाओं हेतु किराया दरें तथा यातायात शुल्क का निर्धारण शासन द्वारा किया जायेगा। इन शुल्क में डीजल, ऑइल, मेंटनेंस, ड्राइवर एवं स्टॉफ सभी खर्च सम्मिलित होंगे तथा किसानों को कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।

**बीज निगम के केन्द्रों पर उपलब्ध कस्टम हायरिंग मशीनरी का विवरण निम्नानुसार है :-**

| क्र. | क्षे.का. का नाम | प्रक्षेत्र का नाम | प्रभारी का नाम           | मोबाईल नं. |
|------|-----------------|-------------------|--------------------------|------------|
| 1    | 2               | 3                 | 4                        | 5          |
| 1.   | <b>भोपाल</b>    | बैरसिया           | श्री के.बी.एस.मलिक       | 9827514096 |
| 2.   |                 | कुरवाई            | श्री योगेन्द्र सिंह तोमर | 9669703105 |
| 3.   |                 | बेगमगंज           | श्री डी.एस.रघुवंशी       | 9993952527 |
| 4.   |                 | उदयपुरा           | श्री सी.एम.पटेल          | 9713766516 |
| 5.   |                 | सुल्तानपुर        | श्री बी.एस.संगर          | 9826066186 |
| 6.   |                 | ब्यावरा           | श्री यदुवंशी             | 9425776842 |
| 7.   |                 | बैतूलबाजार        | श्री बी.एस.गुर्जर        | 9993744611 |
| 8.   |                 | सिवनीमालवा        | श्री आर.एस.सिंह          | 9826664735 |
| 9.   |                 | बाबई              | श्री ओमपाल सिंह तोमर     | 9424646027 |
| 10.  | <b>उज्जैन</b>   | बालगढ़            | श्री विपिन शिवहरे        | 9893916084 |
| 11.  |                 | बन्नाखेड़ा        | श्री प्रदीप मालवीया      | 9425090414 |
| 12.  | <b>इन्दौर</b>   | बिरगोदा           | श्री डी.के.दुबे          | 8989626578 |
| 13.  |                 | मनावर             | श्री ए.के.सिंह           | 7415696470 |
| 14.  |                 | खजूरी             | श्री एस.एस.बारिया        | 9926531983 |
| 15.  |                 | बुरहानपुर         | श्री एस.के.चौधरी         | 9301810440 |
| 16.  |                 | बड़वाह            | श्री ए.के.जैन            | 9425448720 |
| 17.  |                 | बजट्टाखुर्द       | श्री शिवनारायण यादव      | 9424073583 |
| 18.  |                 | बदनावर            | श्री एस.एस.बारिया        | 9926531983 |
| 19.  | <b>ग्वालियर</b> | हातोद             | श्री अरुण गौर            | 7879017731 |
| 20.  |                 | गुना              | श्री बहादुर सिंह जाट     | 9993893730 |
| 21.  |                 | पिपरोद            | श्री दिलीप सक्सेना       | 9425740042 |
| 22.  |                 | बड़ौदा            | श्री आर.एस.जाटव          | 9755406783 |
| 23.  |                 | भिण्ड             | श्री एस.के.कुशवाह        | 9893077855 |
| 24.  | <b>जबलपुर</b>   | खमरिया            | श्री द्विवेदी            | 9926832157 |
| 25.  |                 | गाडरवारा          | श्री रामकृपाल वर्मा      | 9407397685 |
| 26.  |                 | डिण्डोरी          | श्री व्ही.पी.व्यास       | 9685350969 |



|     |             |              |                       |            |
|-----|-------------|--------------|-----------------------|------------|
| 27. |             | सिवनी        | श्री विजय बहादुर सिंह | 9827526772 |
| 28. |             | छपारा        | श्री जमना प्रसाद मॉझी | 9424922219 |
| 29. |             | लखनादौन      | श्री आर.के.हुरमाड़े   | 9770470570 |
| 30. | <b>सागर</b> | बिजौरा       | श्री शियराम रद्युवंशी | 9893249725 |
| 31. |             | मऊजगतसागर    | श्री ए.के.सिंह        | 9425365289 |
| 32. |             | बिजावर       | श्री विजयसिंह राजपूत  | 9826265495 |
| 33. |             | कुण्डेश्वर   | श्री अमरजीत सिंह      | 9425461849 |
| 34. |             | बम्होरीबराना | श्री के.एस.बुन्देला   | 9425474353 |
| 35. |             | दमोह         | श्री आर.एन.एस.तोमर    | 9425068635 |
| 36. |             | जनकपुर       | श्री व्ही.के.अहिरवार  | 8517075840 |
| 37. | <b>सतना</b> | रेवरा        | श्री बलराम सिंह       | 9630179505 |
| 38. |             | खैरवाही      | श्री डी.पी.शुक्ला     | 9907033995 |
| 39. |             | पौण्डी       | श्री आर.के.वर्मा      | 9425027310 |
| 40. |             | मनकीसर       | श्री रमाशंकर बागरी    | 9424700240 |



—: मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल :-

बीज निगम द्वारा खरीफ एवं रबी फसलों के उत्पादन कार्यक्रम में लिये जाने वाले बीजों के उत्कृष्ट उत्पादन हेतु कृषि कार्यमाला :-  
खरीफ सीजन :- (दिनांक 31.03.2013)

| फसल     | किस्म        | अधि-सूचना दिनांक | फसल पकने की अवधि (दिन में) | बोने का समय   | बीज दर/ है0 | बीज उपचार दवाई      | सिंचाई की आवश्यकता | अनुमानित उत्पादन/ हैक्टर क्विंटल में | नींदानाशक/ कीटनाशक   | रिमाक   |
|---------|--------------|------------------|----------------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--|---|
| 1       | 2            | 3                | 4                          | 5             | 6           | 7                   | 8                  | 9                                    | 10   | 11  |
| सोयाबीन | 95-60        | 2007             | 95 दिन                     | 15-30 जून     | 75 किलो     | थायरम/ ट्राइकोडर्मा | -                  | 18-20                                | एमाइजेथापर (परश्यूट/ओ.डी.सी.) पैराथियन डस्ट, रोगोर-30, मेटासीड, ट्राइजोफॉस | गर्डल बीटल, पत्तियों का धब्बा रोग, पीला मोजेक, स्टेम बोरर आता है तो कॉलम नं.-10 में दर्शाई गई दवाई का उपयोग करें।                     |
|         | 93-05        | 2002             | 90-95 दिन                  | 15-30 जून     | 75 किलो     | थायरम/ ट्राइकोडर्मा | -                  | 20-22                                | -'- -'-  |   |
|         | जेएस.335     | 1994             | 100-105 दिन                | 15-30 जून     | 75 किलो     | थायरम/ ट्राइकोडर्मा | -                  | 20-22                                | -'- -'-  |   |
|         | जेएस 90-41   | 1999             | 100-105 दिन                | 15-30 जून     | 75 किलो     | थायरम/ ट्राइकोडर्मा | -                  | 20-22                                | -'- -'-  |   |
| उड़द    | एल.बी.जी.623 | 2001             | 69-70 दिन                  | 15 जून- अगस्त | 20 किलो     | थायरम/ ट्राइकोडर्मा | -                  | 10-12                                | प्री-इमरजेंस,(बोनी पूर्व) डायइथेन-48, सल्फर, क्लोरो पाइरीफास, ट्राइजोफास   | पीला मोजेक, एफिड जेसिट, कंबल कीट, पत्ती धब्बा रोग, पाउडरी मिन्ड्यू का प्रकोप होता है तो कॉलम नं.-10 में दर्शाई गई दवाई का उपयोग करें। |







| 1           | 2                      | 3    | 4         | 5            | 6       | 7                    | 8 | 9     | 10  | 11   |
|-------------|------------------------|------|-----------|--------------|---------|----------------------|---|-------|---|--|
|             | एल.बी.जी.685           | 2001 | 80-85 दिन | 15 जून-अगस्त | 20 किलो | थायरम / ट्राइकोडर्मा | - | 10-12 | प्री-इमरजेंस, (बोनी पूर्व) डायइथेन-78, सल्फर, क्लोरोपाइरीफास, ट्राइजोफास। | -'- -'-  |
|             | के.यू.300 (शेखर)       | 2001 | 65-85 दिन | 15 जून-अगस्त | 20 किलो | थायरम / ट्राइकोडर्मा | - | 10-12 | प्री-इमरजेंस, (बोनी पूर्व) डायइथेन-78, सल्फर, क्लोरोपाइरीफास, ट्राइजोफास। | -'- -'-  |
|             | आर.बी.यू.38            | 1999 | 70-80 दिन | 15 जून-अगस्त | 20 किलो | थायरम / ट्राइकोडर्मा | - | 10-12 | प्री-इमरजेंस, (बोनी पूर्व) डायइथेन-78, सल्फर, क्लोरोपाइरीफास, ट्राइजोफास। | -'- -'-  |
|             | डबल्यू.बी.यू.108 शारदा | 1996 | 80-85 दिन | 15 जून-अगस्त | 20 किलो | थायरम / ट्राइकोडर्मा | - | 15-18 | प्री-इमरजेंस, (बोनी पूर्व) डायइथेन-78, सल्फर, क्लोरोपाइरीफास, ट्राइजोफास। | -'- -'-  |
| <b>मूँग</b> | एचयूएम.-12             | 2003 | 75-80दिन  | 15 जून-अगस्त | 20 किलो | थायरम / ट्राइकोडर्मा | - | 10-12 | प्री-इमरजेंस, (बोनी पूर्व) डायइथेन-78, सल्फर, क्लोरोपाइरीफास, ट्राइजोफास। | फल्ली बीटल, एफिट जेसिट, कंबल कीट, लीफ स्पॉट, पीला मोजेक, पाउडरी मिन्ड्यू के प्रकोप की स्थिति में कॉलम नं.-10 में दर्शाई गई दवाई का उपयोग करें। |







| 1          | 2                    | 3    | 4           | 5                              | 6       | 7                    | 8                                  | 9     | 10  | 11   |
|------------|----------------------|------|-------------|--------------------------------|---------|----------------------|------------------------------------|-------|---|--|
|            | जेएम-3               | 2007 | 75-80दिन    | 15 जून-अगस्त                   | 20 किलो | थायरम / ट्राइकोडर्मा | -                                  | 10-12 | प्री-इमरजेंस, (बोनी पूर्व) डायइथेन-78, सल्फर, क्लोरोपाइरीफास, ट्राइजोफास।             | -'- -'-  |
|            | एलबीजी.460           | 2001 | 75-80 दिन   | 15 जून-अगस्त                   | 20 किलो | थायरम / ट्राइकोडर्मा | -                                  | 10-12 | प्री-इमरजेंस(बोनी पूर्व), डायइथेन-78, सल्फर, क्लोरोपाइरीफास, ट्राइजोफास।              | -'- -'-  |
|            | पूसा-9531            | 2001 | 75-80 दिन   | 15 जून-अगस्त                   | 20 किलो | थायरम / ट्राइकोडर्मा | -                                  | 10-12 | प्री-इमरजेंस, (बोनी पूर्व) डायइथेन-78, सल्फरक्लोरोपाइरीफास, ट्राइजोफास।               | -'- -'-  |
| <b>धान</b> | सीएसआर.30            | 2001 | 125-130 दिन | रोपा लगाने का समय 1 से 30जुलाई | 50 किलो | थायरम                | पानी की कमी होने पर आवश्यकता-नुसार | 35-40 | प्री-इमरजेंस,( बोनी पूर्व) 2-4डी, फोरेट 10जी, वेविस्टीन ,फास्फोमिडान, स्टेपटोसाइक्लीन | गंगाई, स्टेम बोरर, स्टेम राट, झुलसा आदि रोगों का प्रकोप होता है तो कॉलम नं.-10 में दर्शाई गई दवाई का उपयोग करें। |
|            | आईईटी. 4786(शताब्दी) | 2000 | 110-125 दिन | रोपा लगाने का समय 1 से 30जुलाई | 50 किलो | थायरम                | पानी की कमी होने पर आवश्यकता-नुसार | 35-40 | प्री-इमरजेंस,( बोनी पूर्व) 2-4डी, फोरेट 10 जी, वेविस्टीम,फास्फोमिडान, स्टेपटोसाइक्लीन | -'- -'-  |
|            | आईआर.36              | 1982 | 112-115 दिन | रोपा लगाने का समय 1 से 30जुलाई | 50 किलो | थायरम                | पानी की कमी होने पर आवश्यकता-नुसार | 35-40 | प्री-इमरजेंस,( बोनी पूर्व) 2-4डी, फोरेट 10 जी, वेविस्टीम,फास्फोमिडान, स्टेपटोसाइक्लीन | -'- -'-  |





| 1 | 2                          | 3    | 4           | 5                              | 6       | 7     | 8                                  | 9     | 10  | 11    |
|---|----------------------------|------|-------------|--------------------------------|---------|-------|------------------------------------|-------|---|-------|
|   | आईआर.64                    | 1991 | 120-125 दिन | रोपा लगाने का समय 1 से 30जुलाई | 50 किलो | थायरम | पानी की कमी होने पर आवश्यकता-नुसार | 40-45 | प्री-इमरजेंस,( बोनी पूर्व) 2-4डी, फोरेट 10 जी, वेविस्टीम,फास्फोमिडान, स्टेपटोसाइक्लीन | -- -- |
|   | अंजलि                      | 2002 | 90-100 दिन  | रोपा लगाने का समय 1 से 30जुलाई | 50 किलो | थायरम | पानी की कमी होने पर आवश्यकता-नुसार | 25-30 | प्री-इमरजेंस,( बोनी पूर्व) 2-4डी, फोरेट 10 जी, वेविस्टीम,फास्फोमिडान, स्टेपटोसाइक्लीन | -- -- |
|   | पूसा सुगंधा-3              | 2001 | 120-130     | रोपा लगाने का समय 1 से 30जुलाई | 50 किलो | थायरम | पानी की कमी होने पर आवश्यकता-नुसार | 40-45 | प्री-इमरजेंस,( बोनी पूर्व) 2-4डी, फोरेट 10 जी, वेविस्टीम,फास्फोमिडान, स्टेपटोसाइक्लीन | -- -- |
|   | पूसा सुगंधा-2              | 2001 | 120-130     | रोपा लगाने का समय 1 से 30जुलाई | 50 किलो | थायरम | पानी की कमी होने पर आवश्यकता-नुसार | 40-45 | प्री-इमरजेंस,( बोनी पूर्व) 2-4डी, फोरेट 10 जी, वेविस्टीम,फास्फोमिडान, स्टेपटोसाइक्लीन | -- -- |
|   | पूसा बासमती आईईटी. (15391) | 2001 | 130-135     | रोपा लगाने का समय 1 से 30जुलाई | 50 किलो | थायरम | पानी की कमी होने पर आवश्यकता-नुसार | 40-45 | प्री-इमरजेंस,( बोनी पूर्व) 2-4डी, फोरेट 10 जी, वेविस्टीम,फास्फोमिडान, स्टेपटोसाइक्लीन | -- -- |
|   | एम.टी.यू.1010              | 2000 | 120-125     | रोपा लगाने का समय 1 से 30जुलाई | 50 किलो | थायरम | पानी की कमी होने पर आवश्यकता-नुसार | 45-50 | प्री-इमरजेंस,( बोनी पूर्व) 2-4डी, फोरेट 10 जी, वेविस्टीम,फास्फोमिडान, स्टेपटोसाइक्लीन | -- -- |
|   | क्रान्ति (आर.2022)         | 1982 | 120-130 दिन | रोपा लगाने का समय 1 से 30जुलाई | 50 किलो | थायरम | पानी की कमी होने पर आवश्यकता-नुसार | 50-55 | प्री-इमरजेंस,( बोनी पूर्व) 2-4डी, फोरेट 10 जी, वेविस्टीम,फास्फोमिडान, स्टेपटोसाइक्लीन | -- -- |





| 1 | 2                            | 3    | 4            | 5                                     | 6       | 7     | 8  | 9     | 10   | 11      |
|---|------------------------------|------|--------------|---------------------------------------|---------|-------|--|-------|--|---------|
|   | सोमशिला<br>(एनएलआर<br>33358) | 2000 | 90-95<br>दिन | रोपा लगाने<br>का समय 1<br>से 30 जुलाई | 50 किलो | थायरम | पानी की कमी<br>होने पर<br>आवश्यकता-<br>नुसार | 25-30 | प्री-इमरजेंस,( बोनी पूर्व)<br>2-4डी, फोरेट 10 जी,<br>वेविस्टीम, फास्फोमिडान, स्टेपट<br>ोसाइक्लीन | -'- -'- |
|   |                              |      |              |                                       |         |       |  |       |  |         |





## रबी सीजन :-

| फसल             | किस्म                  | अधि-सूचना<br>दिनांक | फसल पकने की अवधि (दिन में) | बोने का समय         | बीज दर/है0  | बीज उपाचार दवाई              | सिंचाई की आवश्यकता              | अनुमानित उत्पादन हैक्टर | नींदानाशक/कीटनाशक     | रिमाक   |
|-----------------|------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|---|
| 1               | 2                      | 3                   | 4                          | 5                   | 6           | 7                            | 8                               | 9                       | 10                    | 11  |
| गेहूँ<br>(ऊँची) | एच.डबल्यू<br>2004(अमर) | 1997                | 127 दिन                    | 15 से 30<br>अक्टूबर | 100<br>किलो | थायरम/<br>कार्बनडिज्म        | एक सिंचाई<br>या<br>अर्द्धसिंचित | 18 से 20<br>क्विंटल     | 2-4 डी<br>नींदानाशक / | सामान्यतः इन प्रजातियों में भूरा भूरा एवं काला गेरूआ रोग नहीं आता है क्योंकि इन प्रजातियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, फिर भी रोग का प्रकोप होता है तो कॉलम नं.7 में दर्शाई गई दवाई से बीज उपाचार करना आवश्यक है। |
|                 | सी.306                 | 1978                | 135 दिन                    | 15 से 30<br>अक्टूबर | 100<br>किलो | थायरम ट्राई-<br>कोडर्माबिरडी | एक सिंचाई<br>या<br>अर्द्धसिंचित | 15 से 20<br>क्विंटल     | 2-4 डी<br>नींदानाशक / | -- --   |
|                 | एच.आई.<br>1500         | 2003                | 115 -<br>120 दिन           | 15 से 30<br>अक्टूबर | 100<br>किलो | थायरम                        | दो सिंचाई                       | 20 से 25<br>क्विंटल     | 2-4 डी<br>नींदानाशक / | -- --   |
|                 | एच.आई.<br>1531         | 2006                | 115 -<br>120 दिन           | 15 से 30<br>अक्टूबर | 100<br>किलो | थायरम                        | एक-दो<br>सिंचाई                 | 20 से 25<br>क्विंटल     | 2-4 डी<br>नींदानाशक / | -- --   |
|                 | जे.डबल्यू<br>3020      | 2005                | 118 दिन                    | 15 से 30<br>अक्टूबर | 100<br>किलो | थायरम                        | एक-दो<br>सिंचाई                 | 25 से 30<br>क्विंटल     | 2-4 डी<br>नींदानाशक / | -- --   |



| 1                | 2                       | 3    | 4                | 5                   | 6           | 7     | 8                         | 9                   | 10                      | 11    |
|------------------|-------------------------|------|------------------|---------------------|-------------|-------|---------------------------|---------------------|-------------------------|-------|
|                  | जे.डबल्यू<br>3173       | 2009 | 115 –<br>120 दिन | 15 से 30<br>अक्टूबर | 100 किलो    | थायरम | एक-दो<br>सिंचाई           | 25 से 30<br>क्विंटल | 2-4 डी<br>नीदानाशक<br>/ | -- -- |
|                  | सुजाता एच.<br>आई.677    | 1984 | 140 दिन          | 15 से 30<br>अक्टूबर | 100 किलो    | थायरम | एक सिंचाई                 | 20 से<br>22 क्विं.  | 2-4 डी /<br>नीदानाशक    | -- -- |
| गेहूँ<br>(बोनी ) | जी.डबल्यू<br>322        | 2002 | 112<br>-115दिन   | 10 से 30<br>नवम्बर  | 100 किलो    | थायरम | तीन सिंचाई<br>सिंचित      | 40 से 45<br>क्विंटल | 2-4 डी<br>नीदानाशक<br>/ | -- -- |
|                  | जी.डबल्यू<br>366        | 2007 | 112<br>-115 दिन  | 15 से 30<br>नवम्बर  | 100 किलो    | थायरम | तीन पानी<br>सिंचित        | 40 से 45<br>क्विंटल | 2-4 डी<br>नीदानाशक<br>/ | -- -- |
|                  | जी.डबल्यू<br>273        | 1998 | 110-115<br>दिन   | 15 से 30<br>नवम्बर  | 100 किलो    | थायरम | दो-तीन<br>सिंचाई, सिंचित  | 45 से 50<br>क्विंटल | 2-4 डी<br>नीदानाशक<br>/ | -- -- |
|                  | एच.आई.<br>8498 ड्यूरम   | 1999 | 115-120<br>दिन   | 1 से 20<br>नवम्बर   | 100<br>किलो | थायरम | तीन-चार<br>सिंचाई, सिंचित | 50 से 55<br>क्विंटल | 2-4 डी<br>नीदानाशक<br>/ | -- -- |
|                  | एम.पी.ओ.<br>1106 ड्यूरम | 2003 | 115-120<br>दिन   | 1 से 15<br>नवम्बर   | 100<br>किलो | थायरम | तीन-चार<br>सिंचाई, सिंचित | 45 से 50<br>क्विंटल | 2-4 डी<br>नीदानाशक<br>/ | -- -- |



| 1          | 2                              | 3    | 4               | 5                       | 6           | 7     | 8                                | 9                      | 10  | 11  |
|------------|--------------------------------|------|-----------------|-------------------------|-------------|-------|----------------------------------|------------------------|---|---|
|            | एम.पी.ओ..<br>3211              | 2010 | 110-115<br>दिन  | 1 से 20<br>नवम्बर       | 100 किलो    | थायरम | तीन सिंचाई,<br>सिंचित            | 45 से 50<br>क्विंटल    | 2-4 डी<br>नीदानाशक  | -- --   |
|            | एम.पी.ओ..<br>4010              | 2003 | 110-120<br>दिन  | नवम्बर                  | 100 किलो    | थायरम | तीन सिंचाई,<br>सिंचित            | 40 से 45 से<br>क्विंटल | 2-4 डी<br>नीदानाशक /  | -- --   |
|            | एच.आई.<br>8627 मालवा<br>कीर्ति | 2005 | 110-115<br>दिन  | 1 से 30<br>नवम्बर       | 100<br>किलो | थायरम | तीन सिंचाई,<br>सिंचित            | 45 से 50 से<br>क्विंटल | 2-4 डी<br>नीदानाशक /  | -- --   |
|            | एच.डी.2864<br>ऊर्जा            | 2005 | 105 -110<br>दिन | 15 नव. से<br>10 दिसम्बर | 100<br>किलो | थायरम | तीन सिंचाई,<br>सिंचित            | 40 से 45<br>क्विंटल    | 2-4 डी<br>नीदानाशक /  | -- --   |
|            | एम.पी..1203                    | 2009 | 110-115<br>दिन  | 1 से 30<br>नवम्बर       | 100 किलो    | थायरम | तीन सिंचाई,<br>सिंचित            | 45 से 50<br>क्विंटल    | 2-4 डी<br>नीदानाशक /  | -- --   |
| <b>चना</b> | जे.जी.322                      | 1999 | 110-115<br>दिन  | अक्टूबर                 | 75 किलो     | थायरम | यदि उपलब्ध<br>हो तो एक<br>सिंचाई | 15 से 18<br>क्विंटल    | कीटनाशक<br>क्लोरोपाइरीफॉस /<br>ट्राइजोफॉस /<br>कॉपर फन्जीसाइड | मुख्यतः इल्ली का प्रकोप<br>होता है तथा उकटा नियंत्रण<br>रोग लगता है जिसके उपचार<br>के लिए कॉपर-फफूँदनाशक<br>का उपयोग करते हैं जो<br>कॉलम नं.- 10 में दर्शाई गई<br>है। |
|            | जे.जी.-'6                      | 2009 | 110-115<br>दिन  | अक्टूबर                 | 75 किलो     | थायरम | यदि उपलब्ध<br>हो तो एक<br>सिंचाई | 15 से 18<br>क्विंटल    | कीटनाशक<br>क्लोरोपाइरीफॉस /<br>ट्राइजोफॉस                     | -- --   |
|            | जे.जी.-14                      | 2009 | 105-110<br>दिन  | अक्टूबर                 | 75 किलो     | थायरम | यदि उपलब्ध<br>हो तो एक<br>सिंचाई | 15 से 20<br>क्विंटल    | कीटनाशक<br>क्लोरोपाइरीफॉस /<br>ट्राइजोफॉस                     | -- --   |





| 1          | 2                          | 3    | 4              | 5       | 6        | 7     | 8                                | 9                   | 10  | 11    |
|------------|----------------------------|------|----------------|---------|----------|-------|----------------------------------|---------------------|---|-------|
|            | जे.जी.-63                  | 2006 | 100-105<br>दिन | अक्टूबर | 75 किलो  | थायरम | एक सिंचाई                        | 20 क्विंटल          | कीटनाशक<br>क्लोरोपाइरीफॉस /<br>ट्राइजोफॉस | -- -- |
|            | जे.जी.226                  | 2006 | 110-115<br>दिन | अक्टूबर | 75 किलो  | थायरम | यदि उपलब्ध<br>हो तो एक<br>सिंचाई | 18 से 20<br>क्विंटल | कीटनाशक<br>क्लोरोपाइरीफॉस /<br>ट्राइजोफॉस | -- -- |
|            | जे.जी.130                  | 2002 | 108-112<br>दिन | अक्टूबर | 75 किलो  | थायरम | यदि उपलब्ध<br>हो तो एक<br>सिंचाई | 18 से 20<br>क्विंटल | कीटनाशक<br>क्लोरोपाइरीफॉस /<br>ट्राइजोफॉस | -- -- |
|            | जे.जी.-16<br>साकी<br>95-16 | 2001 | 118-120<br>दिन | अक्टूबर | 75 किलो  | थायरम | यदि उपलब्ध<br>हो तो एक<br>सिंचाई | 18 से 20<br>क्विंटल | कीटनाशक<br>क्लोरोपाइरीफॉस /<br>ट्राइजोफॉस | -- -- |
|            | जाकी 9218<br>वैभव          | 2001 | 100-105<br>दिन | अक्टूबर | 75 किलो  | थायरम | यदि उपलब्ध<br>हो तो एक<br>सिंचाई | 18 से 20<br>क्विंटल | कीटनाशक<br>क्लोरोपाइरीफॉस /<br>ट्राइजोफॉस | -- -- |
|            | जे.जी.11                   | 1999 | 100-110<br>दिन | अक्टूबर | 75 किलो  | थायरम | यदि उपलब्ध<br>हो तो एक<br>सिंचाई | 15 से 18<br>क्विंटल | कीटनाशक<br>क्लोरोपाइरीफॉस /<br>ट्राइजोफॉस | -- -- |
| <b>चना</b> | कॉक-2<br>काबुली            | 2001 | 110-115<br>दिन | अक्टूबर | 100 किलो | थायरम | सिंचाई<br>आवश्यक नहीं            | 16 क्विंटल          | कीटनाशक<br>साइपरमेथ्रीन /<br>ट्राइजोफॉस   | -- -- |
|            | जे.जी.-3<br>काबुली         | 2006 | 110-115<br>दिन | अक्टूबर | 100 किलो | थायरम | यदि उपलब्ध<br>हो तो एक<br>सिंचाई | 16 क्विंटल          | कीटनाशक<br>साइपरमेथ्रीन /<br>ट्राइजोफॉस   | -- -- |





| 1   | 2                     | 3    | 4           | 5                   | 6        | 7     | 8         | 9             | 10                                      | 11   |
|-----|-----------------------|------|-------------|---------------------|----------|-------|-----------|---------------|---|--|
| मटर | शुभ्रा(आई एम9101)     | 2001 | 105-110 दिन | सितम्बर-अक्टूबर     | 100 किलो | थायरम | दो सिंचाई | 15-20 क्विंटल | कीटनाशक साइपरमेथ्रीन / सल्फर ट्राइजोफॉस | फली भेदक, पर्ण सुरंग, कटुआ इल्ली का प्रकोप होता है तथा भभूतिया रोग लगता है तो कॉलम नं. -10 में दर्शाई गई दवाई का उपयोग करें। |
|     | केएमपीआर. 400 इंदिरा  | 2001 | 115-120 दिन | 15सितम्बर-15अक्टूबर | 100 किलो | थायरम | दो सिंचाई | 15-20 क्विंटल | कीटनाशक साइपरमेथ्रीन / सल्फर ट्राइजोफॉस | -- --  |
|     | प्रकाश आईपीएफडी. 1-10 | 2006 | 95-110 दिन  | 15सितम्बर-15अक्टूबर | 100 किलो | थायरम | दो सिंचाई | 15-20 क्विंटल | कीटनाशक साइपरमेथ्रीन / सल्फर ट्राइजोफॉस | -- --  |
|     | पूसा मुक्ता           | 2005 | 100-105 दिन | 15सितम्बर-15अक्टूबर | 100 किलो | थायरम | दो सिंचाई | 15-20 क्विंटल | कीटनाशक साइपरमेथ्रीन / सल्फरट्राइजोफॉस  | -- --  |

|      |                   |      |             |                     |            |       |  |               |  |   |
|------|-------------------|------|-------------|---------------------|------------|-------|--|---------------|--|---|
|      | अर्किल            | 1978 | 90-100 दिन  | 15सितम्बर-15अक्टूबर | 100 किलो   | थायरम | दो सिंचाई                                | 10-12 क्विंटल | कीटनाशक साइपरमेथ्रीन / सल्फर,ट्राइजोफॉस                  | -- --   |
| मसूर | नूरी(आईपीएल. -81) | 2001 | 110-113 दिन | अक्टूबर             | 25-30 किलो | थायरम | असिंचित, सिंचाई उपलब्ध होने पर एक सिंचाई | 10-12 क्विंटल | कीटनाशक साइपरमेथ्रीन / सल्फर,ट्राइजोफॉस / कॉपर फन्जीसाइड | मुख्यतः एफिट, जेसिट का प्रकोप होता है एवं उकटा रोग भी आता है। यदि इनका प्रकोप होता है तो कॉलम नं. -10 में दर्शाई गई दवाई का उपयोग करें। |



| 1           | 2                          | 3    | 4              | 5                     | 6             | 7     | 8   | 9                | 10  | 11  |
|-------------|----------------------------|------|----------------|-----------------------|---------------|-------|---|------------------|---|---|
|             | जे.एल.-3                   | 2000 | 100-104<br>दिन | अक्टूबर               | 25-30<br>किलो | थायरम | असिंचित,<br>सिंचाई उपलब्ध<br>होने पर एक<br>सिंचाई | 13-14<br>क्विंटल | कीटनाशक<br>साइपरमेथ्रीन /<br>सल्फर, ट्राइजोफॉस                                      | -- --   |
|             | एच.यू.एल.57                | 2005 | 110-115<br>दिन | अक्टूबर               | 25-30<br>किलो | थायरम | असिंचित,<br>सिंचाई उपलब्ध<br>होने पर एक<br>सिंचाई | 10-15<br>क्विंटल | कीटनाशक<br>साइपरमेथ्रीन /<br>सल्फर ट्राइजोफॉस                                       | -- --   |
| <b>सरसो</b> | वसुन्धरा<br>(आरएच<br>9304) | 2003 | 130-135<br>दिन | 15 सित0<br>-15अक्टूबर | 5 किलो        | थायरम | असिंचित,<br>सिंचाई उपलब्ध<br>होने पर एक<br>सिंचाई | 20-22<br>क्विंटल | कीटनाशक<br>केराथियान एवं<br>सल्फर<br>साइपरमेथ्रीन /<br>क्लोरोपाइरीफॉस<br>ट्राइजोफॉस | सफेदरस्ट पाउड्रमिन्डयू<br>एफिट जेसिट, आरा<br>मक्खी एवं बग का प्रकोप<br>होता है तो कॉलम नं.-10<br>में दर्शाई गई दवाई का<br>उपयोग करें। |
|             | माया (आरके.<br>9902)       | 2003 | 132-134<br>दिन | 15 सित0<br>-15अक्टूबर | 5 किलो        | थायरम | असिंचित,<br>सिंचाई उपलब्ध<br>होने पर एक<br>सिंचाई | 20-22<br>क्विंटल | कीटनाशक सल्फर<br>साइपरमेथ्रीन /<br>क्लोरोपाइरीफॉस<br>ट्राइजोफॉस                     | -- --   |
|             | व्हीएसएल-5                 | 1999 | 112-135<br>दिन | 15 सित0<br>-15अक्टूबर | 5 किलो        | थायरम | असिंचित,<br>सिंचाई उपलब्ध<br>होने पर एक<br>सिंचाई | 17 क्विंटल       | कीटनाशक<br>साइपरमेथ्रीन<br>सल्फर<br>/ क्लोरोपाइरीफॉस<br>ट्राइजोफॉस                  | -- --   |
|             | पूसा बोल्ड                 | 1985 | 110-145<br>दिन | 15 सित0<br>-15अक्टूबर | 5 किलो        | थायरम | असिंचित,<br>सिंचाई उपलब्ध<br>होने पर एक<br>सिंचाई | 10-12<br>क्विंटल | कीटनाशक<br>साइपरमेथ्रीन /<br>क्लोरोपाइरीफॉस<br>ट्राइजोफॉस                           | -- --   |







नोट:-

1. **कीटनाशक/फफूँदनाशक दवाई के उपयोग की विधि** :- कीटनाशी कवकनाशी के छिड़काव करने से पूर्व डिब्बे पर लिखे निर्देश एवं सही मात्रा का अवलोकन कर लें। प्रायः 30 मिली. से 40 मिली. कीटनाशी को 15 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिये। सामान्यतः एक हैक्टर में 500 मिली. से 1000 मिली. दवाई आवश्यकतानुसार 300 से 400 लीटर पानी में मिलाकर उपयोग करना चाहिये।
2. **नीदानाशक का उपयोग** :- नीदानाशक प्रायः दो प्रकार के होते हैं। प्री इमरजेंस (बोनी के पूर्व ) एवं पोस्ट इमरजेंस (बोनी पश्चात) नीदानाशक का उपयोग करने से पूर्व नीदानाशक के डिब्बों पर लिखे हुए निर्देश का अध्ययन अवश्य कर लेवें । उस पर दर्शाई गई मात्रा एवं छिड़काव की विधि देख लें।
3. **उपयोग में सावधानियाँ** :- नीदानाशक एवं दवाई का उपयोग करते समय हाथ में दस्ताने एवं मुँह पर साफ-सुथरा कपड़ा बाँधकर छिड़काव करें। छिड़काव करते समय हवा की दिशा का ज्ञान कर लें। दवाई स्प्रे के बाद हाथ पैर मुँह साबुन से अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिये। किसी असावधानी होने की दशा में दवाई श्वॉस नली अथवां मुँह के माध्यम से अंदर चली जाती है तो प्रभावित व्यक्ति तत्काल नमक का घोल पिलाना चाहिये और चिकित्सक की सलाह लेना चाहिये।

बीज की उपलब्धता एवं अधिक जानकारी हेतु नजदीकी बीज निगम के प्रक्रियाकेन्द्र प्रभारी (सूची संलग्न है) से सम्पर्क कर सकते हैं।



| क. | क्षे. का. का नाम | प्रक्रिया केन्द्र | प्रभारी का नाम             | मोबाईल नं. |
|----|------------------|-------------------|----------------------------|------------|
| 1  | 2                | 3                 | 4                          | 5          |
| 1  | भोपाल            | गोविन्दपुरा       | श्री रघुवंशी               | 9981253274 |
| 2  |                  | औबेदुल्लागंज      | श्री भार्गव                | 9425377331 |
| 3  |                  | बेगमगंज           | श्री ज्ञानसिंह             | 9977145801 |
| 4  |                  | विदिशा            | श्री ठाकुर                 | 9926438917 |
| 5  |                  | ब्यावरा           | श्री एस.के.भाटी            | 9893913575 |
| 6  |                  | सिवनीमालवा        | श्री डी.एन.राय             | 9827242917 |
| 7  |                  | बाबई              | श्री तोमर                  | 9424646027 |
| 8  |                  | हरदा              | श्री रिछारिया              | 9893602955 |
| 9  |                  | बरेली             | श्री जी.पी.पाण्डे          | 9826221462 |
| 10 |                  | जीरापुर           | श्री एस.एस.तिवारी          | 9425444054 |
| 11 |                  | बैतूलबाजार        | श्री इन्दूरीया             | 9826538570 |
| 12 |                  | रहेटी             | श्री एस.के. देरवाई         | 9993122026 |
| 13 | उज्जैन           | उज्जैन            | श्री आर. एस. सिंह          | 9826664735 |
| 14 |                  | शाजापुर           | श्री कैलाशचन्द्र जायसवाल   | 9926665890 |
| 15 |                  | बालगढ़            | श्री विपिन शिवहरे          | 9893916084 |
| 16 |                  | बन्नाखेड़ा        | श्री प्रदीप मालवीय         | 9425090414 |
| 17 |                  | मन्दसौर           | श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी | 9425084862 |
| 18 |                  | खातेगाँव          | श्री श्यामबाबू सारसिया     | 9424596443 |
| 19 | इन्दौर           | बिरगोदा           | श्री डी.के.दुबे            | 8989626578 |
| 20 |                  | धार               | श्री डी.एस.सोलंकी          | 9893077035 |
| 21 |                  | बड़वाह            | श्री ए.के.जैन              | 9425448720 |
| 22 |                  | खरगौन             | श्री अभय लुक्कड़           | 9425448880 |
| 23 |                  | बजट्टाखुर्द       | श्री एस.आर.यादव            | 9424073583 |
| 24 |                  | खण्डवा            | श्री कौशलेन्द्र सिंह       | 9425090113 |
| 25 |                  | बुरहानपुर         | श्री एस.के.चौधरी           | 9301810440 |
| 26 |                  | खजूरी             | श्री एस.एस.बारिया          | 9926531983 |
| 27 |                  | मनावर             | श्री ए.के.सिंह             | 9424441473 |
| 28 |                  | बदनावर            | श्री एस.एस.बारिया          | 9926531983 |
| 29 | ग्वालियर         | ग्वालियर          | श्री बी.के.गुप्ता          | 9893602609 |
| 30 |                  | बड़ोदा            | श्री अरविंद सिंह चौहान     | 9826885618 |
| 31 |                  | भिण्ड             | श्री सुरेश सिंह कुशवाह     | 9893077855 |
| 32 |                  | शिवपुरी           | श्री सत्यवीर सिंह भदौरिया  | 9630766928 |
| 33 |                  | गुना              | श्री शशिकांत यादव          | 9425760049 |
| 34 |                  | अशोकनगर           | श्री फनीशकुमार             | 9755418378 |
| 35 |                  | दतिया             | श्री रणजीतसिंह यादव        | 9826256558 |
| 36 | जबलपुर           | कटनी              | श्री ए.एन.पाण्डेय          | 9981670984 |
| 37 |                  | डिण्डोरी          | श्री एस.एन.उपाध्याय        | 9425899194 |
| 38 |                  | नरसिंहपुर         | श्री ए.के.भार्गव           | 9425339038 |





|    |      |            |                         |            |
|----|------|------------|-------------------------|------------|
| 39 |      | गाडरवारा   | श्री आर.के.वर्मा        | 9407397685 |
| 40 |      | छिन्दवाड़ा | श्री जी.पी.सोनवाने      | 9425068624 |
| 41 |      | सिवनी      | श्री विजय बहादुर सिंह   | 9827526772 |
| 42 |      | छपारा      | श्री जमुना प्रसाद मॉझी  | 9424922219 |
| 43 |      | जबलपुर     | श्री. ए.के.तिवारी       | 9039231769 |
| 44 |      | बालाघाट    | श्री जनार्दन सिंह       | 9893672479 |
| 45 | सागर | सागर       | श्री हीरालाल अहिरवार    | 9425167730 |
| 46 |      | देवरी      | श्री सी.पी.सिंह         | 9425096257 |
| 47 |      | दमोह       | श्री रामनिवास सिंह तोमर | 9425068635 |
| 48 |      | पन्ना      | श्री व्ही.के.अहिरवार    | 8517075840 |
| 49 |      | छतरपुर     | श्री नायक               | 9407079995 |
| 50 |      | कुण्डेश्वर | श्री अमरजीत सिंह        | 9425461849 |
| 51 | सतना | रेवरा      | श्री शिवजी सिंह         | 9754955066 |
| 52 |      | रीवा       | श्री एन.पी.तिवारी       | 9424337771 |
| 53 |      | शहडोल      | श्री आर.के.शुक्ला       | 9893422418 |





## // जैविक खेती //

भोजन मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। अन्न से जीवन है, इसे पूरा करने के लिए देश में हरित क्रान्ति लाई गई है। “अधिक अन्न उपजाऊ” का नारा दिया गया परिणामस्वरूप रासायनिक उर्वरकों, पौधा संरक्षण औषधि का अंधाधुंध व असंतुलित उपयोग प्रारम्भ हुआ। भारत के खेतों में हर वर्ष औसतन 80 हजार टन रासायनिक कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है। इससे उत्पादन तो बढ़ता है परन्तु उत्पादकता में स्थिरता आने के कारण वृद्धि पर प्रश्नचिन्ह लग गया है। बतहाशा रासायनिक उर्वरकों व अंधाधुंध कीटनाशकों के प्रयोग से हरियाली का यह बसंत एक दिन बंजर में बदल जायेगा।



अब किसान ऐसा महसूस करने लगा है कि जहाँ एक बोरी रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल करने से जितनी उपज मिलती थी उतनी उपज लेने के लिये दो बोरी उर्वरक की जरूरत पड़ रही है। इसी प्रकार कीटनाशकों के प्रयोग की मात्रा में दो-तीन गुना दवाई छिड़कना पड़ती है। भूमि की उर्वरा-शक्ति को बढ़ाने हेतु एवं जमीन को बंजर होने से रोकने के लिए जैविक खेती की नितान्त आवश्यकता है।

जैविक पद्धति कोई नई पद्धति नहीं है वरन् आधुनिक विज्ञान से वही भारतीय संस्कृति की पारम्परिक पद्धति है जिसे पूर्व में किसान अपनाते रहे हैं लेकिन पशुधन की संख्या में निरन्तर बतहाशा कमी के कारण जैविक गोबर खाद कमी होने से किसान को रासायनिक खेती पर उन्मुख होना पड़ा।

**जैविक खेती :-**जैविक खेती एक ऐसी पद्धति है जिसमें रासायनिक कीटनाशियों, खरपतवार नाशियों एवं उर्वरकों के उपयोग के स्थान पर जीवांश खाद जैसे- गोबर की खाद, कम्पोस्ट, वर्मी कम्पोस्ट, हरी खाद, जीवाणु कल्चर, राइजोरियम, एजोटावेक्टर, पी.एस.बी. कल्चर इत्यादि पोषक तत्वों के स्रोत के रूप में होते हैं एवं हानिकारक जीवों के नियंत्रण करने के लिए जैव नाशियों (बायो पेस्टीसाईड) जैसे, ट्राइकोडर्मा, नीम, धतुरा, गौमूत्र आदि का उपयोग करना जिससे न केवल भूमि की उर्वरा शक्ति लम्बे समय तक बनी रहती है बल्कि पर्यावरण प्रदूषित होने से बचता है एवं उत्पादकीय गुणवत्ता बढ़ती है जिससे मनुष्य के स्वास्थ्य पर अच्छा





प्रभाव छोड़ता है। जैविक उत्पाद का उपयोग निरन्तर भूमि में करने से कई वर्षों तक भूमि की उर्वरा शक्ति घटेगी नहीं बल्कि निरन्तर बढ़ेगी।

यदि कृषक बन्धु जैविक बीज उत्पादन करना चाहते हैं तो जैविक बीज प्रमाणीकरण संस्था, आफिस काम्पलेक्स, गौतम नगर से सम्पर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर खेती कर सकते हैं।



## प्रक्रिया प्रभारियों के लिए आवश्यक निर्देश

### (1) बीज प्रमाणीकरण संबंधी निर्देश :-

1. प्रक्रिया केन्द्र का पंजीयन/नवीनीकरण आवेदित वर्ष से आरम्भ होकर तीसरे वर्ष की 31 मार्च तक वैध होता है अतः वैधता अवधि समाप्ति के 15 दिवस पूर्व संबंधित सम्भागीय बीज प्रमाणीकरण कार्यालय में आगामी नवीनीकरण हेतु नियमानुसार आवेदन की कार्यवाही की जावे।
2. उत्पादन कार्यक्रम हेतु पैतृक बीज के उपयोग (वितरण) के पूर्व बीज का भौतिक सत्यापन बीज प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारी से कराया जावे।
3. बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु कृषकों को दिये जाने बीज के चालान/बिल/कैशमेमो में बीज का लॉट क्रमांक वजन व बोरियों की संख्या अंकित किया जावे तथा प्रदायकर्ता के साथ प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर आवश्यक होना चाहिए।
4. फसल पंजीयन हेतु निर्धारित आवेदन पत्र आवश्यक सभी संलग्नकों के निर्धारित अंतिम तिथि तक म0प्र0राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के सम्भागीय कार्यालय में जमा कराया जावे।
5. आवेदन पत्र पर उत्पादक कृषक का पासपोर्ट आकार का फोटो लगावे जो स्थानीय जन प्रतिनिधि या शासकीय अधिकारी से सत्यापित हो।
6. आयोजित बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु प्रस्तुत समस्त आवेदनों एवं उनके साथ संलग्न सभी अभिलेखों के सही एवं प्रमाणिक होने का रू. 50/- के नॉन जूडिशियल स्टॉम्प पेपर नोटराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत किया जावे। यह कार्य पूर्ण सावधानी से किया जावे क्योंकि जानकारी असत्य पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही का प्रावधान है।
7. यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से बीज की बोनी नहीं हो पाती या फसल खराब हो जाती है तो आवेदन करने के 15 दिवस के अन्दर प्रभावित रकबे का निरीक्षण शुल्क वापसी/समायोजन की कार्यवाही कराई जावे।
8. बीज उत्पादक फसल का समय-समय पर निरीक्षण करें तथा बीज फसल में पाये जाने वाले भिन्न पौधे, संदूषक, खरपतवार आदि आवश्यक रूप से बाहर निकलवायें।
9. बीज उत्पादन कार्यक्रम प्रक्रिया केन्द्र से 30 कि.मी. शासकीय/निगम प्रक्षेत्र से जहाँ प्रक्रिया केन्द्र नहीं है, में 15 कि.मी.के अन्दर तथा इसके अतिरिक्त किसी क्षेत्र विशेष में 1 कि.मी. की परिधि में कम से कम 30 हैक्टेयर क्षेत्र में क्रियान्वयन किया जावे, किन्तु उपरोक्त सीमा का बंधन माईनर क्राप में नहीं है।

### (2) बीज वितरण संबंधी :-

1. कृषकों को प्रदाय किये जाने वाले बीज चालान/कैशमेमो पर अन्य विवरणों के साथ लॉट क्रमांक आवश्यक रूप से अंकित किया जावे





2. एक लॉट की कुल मात्रा एक ही क्षेत्र में वितरित न किया जाकर अन्य क्षेत्रों में वितरित किया जाना चाहिए जिससे किन्हीं कारणों से एक क्षेत्र में खराब होने से आई शिकायत में उसी लॉट का बीज अन्य क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन से कानूनी कार्यवाही में सहायता मिल सकती है।
3. बीज वितरण नीति के अनुसार एवं मुख्यालय के निर्देशानुसार बीजों का वितरण किया जावे।
4. योजनाओं में प्रदाय बीज उत्पादन/वितरण अनुदान के देयक समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए समय पर प्रस्तुत किया जावे।

(3) **बीज उपार्जन हेतु आवश्यक निर्देश :-**

1. बीज उपार्जन के पूर्व बीज उत्पादकों से दूरभाष या व्यक्तिगत बात करके बीज लाने की तिथि निर्देशित कर उसी अनुसार हम्माली की व्यवस्था कर लें।
2. बीज उपार्जन के समय अंतिम निरीक्षण प्रतिवेदन को अवश्य देख लें तदानुसार ही उच्च श्रेणी का बीज उपार्जन की अंतिम तिथि तक लक्ष्यानुसार रखना मुख्यालय के निर्देशानुसार पूर्ण किया जावे।
3. अग्रिम संसाधन कार्यक्रम संबंधित म0प्र0राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के सम्भागीय कार्यालय से अनुमोदन कराया जाकर समय पर संसाधन पूर्ण किया जावे।
4. असंसाधित बीज का भण्डारण प्रथमतः संयंत्र कक्ष के गोदाम में किया जावे, ताकि अनावश्यक स्थानीय परिवहन पर व्यय नहीं हो।
5. **प्रजनक से उत्पादित आधार बीज का शत प्रतिशत उपार्जन अनिवार्य है।**

(4) **संसाधन के समय के निर्देश :-**

1. अनुमोदित संसाधन कार्यक्रम के अनुसार बीजों का संसाधन कार्य आरम्भ किया जावे।
2. संसाधन के पूर्व मशीन की ओवरहालिंग अवश्य कर लें।
3. एक लॉट के बाद दूसरे लाट के पूर्व मशीन की साफ सफाई अच्छी तरह की जावे।
4. संसाधन के समय बीज के मिश्रण होने की सम्भावना अधिक रहती है। अतः इस कार्य हेतु किसी कर्मचारी को लिखित में तैनात किया जाकर स्वयं सतत् परीक्षण/निरीक्षण कर लें।
5. संसाधित बीज के बोरे एक समान वजन के हो जिन पर लेड सील लगी हो तथा फसल, किस्म एवं लॉट क्रमांक अंकित हो तथा स्टेग कार्ड अवश्य लगावे।
6. बीजों का भण्डारण इस प्रकार किया जावे कि प्रत्येक स्टॉक/थप्पी के चारों ओर घूमकर बीज का निरीक्षण किया जा सके।
7. बीजों का समय-समय धूम्रीकरण/स्प्रे करते रहे।
8. संसाधित बीज के गोदाम में अण्डरसाईज नहीं रखी जावे।
9. बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा निर्देशित अभिलेखों का संधारण अनिवार्य रूप से किया



जावे तथा पर्यवेक्षीय अधिकारी को अवलोकन अवश्य कराया जावे।

(5) **बीज परीक्षण हेतु नमूना लेना :-**

1. संसाधन पश्चात् समय पर नमूना भेजने की कार्यवाही की जावे। नमूना बॉक्स में ही भेजे जाये।
2. बीज लॉट्स जो प्रथम निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर पुनः प्रक्रिया की श्रेणी में आते हैं, मुख्यालय के निर्देशानुसार पुनः सेम्पलिंग की कार्यवाही की जावे।

(6) **बीज पैकिंग :-**

1. बीज परीक्षण प्रतिवेदन का सावधानी से अध्ययन कर अभिलेखों में प्रविष्टि कर लें तथा मानक बीज की पैकिंग की कार्यवाही करें।
2. बोरी, टैग, लेबिल्स की लिखाई/छपाई सुव्यवस्थित रखें, सभी कॉलमों में आवश्यक जानकारी भरी हो यह सुनिश्चित करलें।
3. बीज बोरी में निर्धारित वजन की बीजोपचार दवाई तथा लीफ लेट्स अवश्य रखी जावे तथा लेड सील लगाई जाकर पैकड किया जावे।
4. बीज बोरी में वजन मानक अनुसार होना चाहिए।
5. बीज की गुणवत्ता उच्च कोटि की होनी चाहिये। खराब गुणवत्ता का बीज कतई पैक नहीं किया जावे।
6. बीजों का परिवहन न्यूनतम किया जावे।
7. मुख्यालय द्वारा निर्धारित अभिलेख पी-1 से 19 तक विधिवत एवं समय पर प्रत्येक कॉलम में पूर्ण प्रविष्टि की जावे।
8. खेत स्तर पर बीज की गुणवत्ता खराब होने संबंधी शिकायत की तत्परता से कार्यवाही की जावे। प्रथमतः जिला स्तर की जॉच कमेटी जिसमें संबंधित उप संचालक कृषि, कृषि वैज्ञानिक, बीज प्रमाणीकरण अधिकारी तथा उत्पादक संस्था के प्रतिनिधि शामिल हैं, द्वारा अंकुरण/गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों की जॉच की जावेगी।

(7) **लेखा मिलान :-**

1. अग्रिम राशि व अन्य कटोत्राओं की वसूली/समायोजन पश्चात् ही अंतिम रूप से फेल बीज संबंधित कृषक को चालान पर वापस किया जावे।
2. बीज उधारी पर दिया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि उपार्जित बीज के विरुद्ध उधारी पर बीज प्रदाय किया जाता है तो अग्रिम प्रदाय के समय उधारी की राशि आवश्यक रूप से समायोजित करें, इसके लिए प्रक्रिया प्रभारी पूर्णरूपेण जिम्मेदार हैं।
3. क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत तथा अन्य क्षेत्रीय कार्यालय को भेजे गये एवं प्राप्त बीजों का मिलान बीज वितरण के दौरान एवं अंत तक अनिवार्यतः कर लें।



4. बीज का हिसाब मिलान कर राशि का मिलान बैंक खातों से कर लें।
5. बैंक स्टेटमेंट नियमित रूप से प्राप्त कर कैशबुक से मिलान आवश्यक रूप से करें।
6. फ़ैल/बचत/अण्डरसाईज बीज के निवर्तन की कार्यवाही समय पर की जावे।
7. केन्द्र पर भण्डारित अनुपयोगी सामग्री का निवर्तन शीघ्रता से किया जावे, ताकि गोदामों में बीज भण्डारण हेतु पर्याप्त स्थान प्राप्त हो सके।
8. प्रक्रिया केन्द्र के लाभ-हानि की गणना करें, केन्द्र को लाभ की स्थिति में संचालित करना ही हमारा उद्देश्य है।
9. किराये के गोदामों को बीज आवश्यकतानुसार ही लिये जावे एवं उनकी शत प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया जावे।
10. फ्यूमिगेशन/तारपोलीन का उपयोग पश्चात् साफ-सफाई पश्चात् सुरक्षित भण्डारित करें।
11. पैकिंग सामग्री का हिसाब मिलान कर अवशेष स्टॉक का रखरखाव भलीभांति किया जावे।
12. बीजोंपचार दवाई का उपयोग फसल की अनुशंसा के अनुसार किया जावे तथा प्रथमतः निकट, एक्सपाइरी वाली दवाई का उपयोग किया जावे।
13. कृषि विभाग द्वारा बीज नयंत्रण आदेश 1983 के अन्तर्गत बीज नमूने लिये जाते हैं, परीक्षण परिणाम में अमानक पाये जाने पर कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है जिससे निगम को आर्थिक क्षति होती है। अतः नमूने अपने समक्ष कराये जावे तथा नमूना उनकी अभिरक्षा में रखकर प्रयोगशाला भिजवाये। प्रायः कृषि विभाग से लिये गये नमूना, अमानक हो तो इसे गम्भीरता से लेवें।

प्रमाणित बीज, सीमित परिवार, यही बनेंगे सुख का आधार







# बीज निगम से जुड़े कृषकों की डायरेक्टरी

(सम्भाग एवं प्रक्रिया केन्द्र के अनुसार)

